राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक प.5(9)देव/2003 जयपुर,दिनांक 25/2/2015

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर।

विषयः— अराजकीय मंदिर/मंदिर न्यास की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा भुगतान के संबंध में।

प्रंसगः— आपका पत्र क्रमांक एफ 3(4)सामान्य/देव/2004—पार्ट—1/8094 दिनांक 4.6.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में चाहा गया मार्गदर्शन निम्न प्रकार हैः—

1 राजकीय मंदिरो के अवाप्ति से प्राप्त राशि से उनके पुर्नवास की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जावेगी। पुरातत्व महत्व के मंदिरो का पुर्नवास पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया जावेगा तथा पुर्नवास राशि का भुगतान मुआवजा राशि में से किया जाएगा।

2 भूमि पर बोई फसल के मुआवजा राशि का भुगतान अवाप्ति से पूर्व भूमि के उपयोग/उपभोग की उप खण्ड अधिकारी से जांच उपरान्त मंदिर पुजारी को उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के माध्यम से वार्षिक भुगतान की जावें।

3 अराजकीय मंदिर की भूमि अवाप्ति पर प्राप्त मुआवजा राशि आयुक्त,देवस्थान विभाग के निजी निक्षेप खाते में पूर्व की तरह जमा की जाती रहे। संबंधित मंदिर जिसकी भूमि अवाप्ति पर मुआवजा राशि प्राप्त हुई है, उस राशि से भूमि नगर निगम/पंचायत समिति/विकास प्राधिकरण/ आवासन मण्डल की जो भूमि उपलब्ध हो, वह उस संस्था के द्वारा मांगी गई राशि के अनुरूप अदा कर बदले में जमीन मंदिर के नाम आवंटित कराई जावेगी। एवज में भूमि दिलवाने के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति कमेटी गठित की गई है, जो भूमि का चयन कर, देय राशि निर्धारित कर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान को अपनी अनुशंषा प्रेषित करेगी एवं आयुक्त, देवस्थान उक्त राशि को नगर निगम/पंचायत समिति/ विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल को अदा करेंगे। बदले में प्राप्त की गई भूमि संबंधित मंदिर के नाम रहेगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आज्ञा संख्या प. 6(1)प्रसु/अनु—3/2015 दिनांक 19.1.2015 द्वारा निम्नानुसार स्थाई समिति का गठन किया गया हैः—

1 जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3 नगर निगम का अधिशाषी अधिकारी/ या विकास प्राधिकरण का सचिव/आवासन मंडल का अधिशाषी अभियंता/ उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
4 जिले में पदस्थापित लेखा सेवा का अधिकारी जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित हो	सदस्य
5 संबंधित सहायक आयुक्त,देवस्थान विभाग	समन्वयक

आज्ञा दिनांक 19.1.2015 की फोटोप्रति संलग्न है।

भवदीय

(अशोक शेखर)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक प.6(1)प्र.सु./अनु–3/2015 दिनांक 19-1-2015

आज्ञा

अराजकीय मंदिरों की भूमि अवाप्ति पर प्राप्त मुवाअजा राशि आयुक्त, देवस्थान विभाग के निजी निक्षेप खाते में जमा की जाती है। संबंधित मंदिर जिसकी भूमि अवाप्ति पर मुवाअजा राशि प्राप्त हुई है, उस राशि से भूमि नगर निगम/पंचायत समिति/विकास प्राधिकरण/आवासन मंडल की जो भूमि उपलब्ध हो, वह उस संस्था के द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप अदा कर बदले में भूमि मंदिर के नाम आवंटित कराई जावेंगी। भूमि चयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति निम्नानुसार गठित की जाती है :–

1. जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3. नगर निगम का अधिशाषी अधिकारी/या विकास प्राधिकरण का सचिव/आवासन मंडल का अधिशाषी अभियंता/ उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
4. जिले में पदस्थापित लेखा सेवा का अधिकारी जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित हो	सदस्य
5. संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग	समन्वयक

उक्त समिति भूमि का चयन कर देय राशि निर्धारित कर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान को अपनी अनुशंषा प्रेषित करेगी। आयुक्त, देवस्थान विभाग उक्त राशि को नगर निगम/पंचायत समिति/विकास प्राधिकरण/आवासन मंडल को अदा करेंगे। बदले में प्राप्त भूमि संबंधित मंदिर के नाम रहेगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग देवस्थान विभाग होगा।

आज्ञा से,

19/1/15
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री देवस्थान विभाग राजस्थान जयपुर ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग राजस्थान जयपुर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय एवं आवासन विकास विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक पंचायती राज विभाग जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान ।
9. शासन उप सचिव,देवस्थान विभाग को पत्रावली संख्या एफ.5(4)देव/2009 के कम में ।
10. आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर ।
11. सभी संबंधित अधिकारीगण ।
12. संबंधित सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ।
13. रक्षित पत्रावली ।

15/01/15

अनुभाग अधिकारी